न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 20/2024
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 27.06.2024

1. सुशीला देवी पत्नी स्व. चेनराज जाति खटीक, निवासी ग्राम फागी जिला दूदू हाल निवासी बी–1, चार दरवाजा बाहर, मालासर बाबा के मंदिर के पास, मंडी खटीकान रामगंज जयपुर जिला जयपुर राज.।
2. महेन्द्र पुत्र स्व. चेनराज जाति खटीक, निवासी ग्राम फागी जिला दूदू हाल निवासी बी–1, चार दरवाजा बाहर, मालासर बाबा के मंदिर के पास, मंडी खटीकान रामगंज जयपुर जिला जयपुर राज.।
3. राजेन्द्र पुत्र स्व. चेनराज जाति खटीक, निवासी ग्राम फागी जिला दूदू हाल निवासी बी–1, चार दरवाजा बाहर, मालासर बाबा के मंदिर के पास, मंडी खटीकान रामगंज जयपुर जिला जयपुर राज.।

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री कालूराम बुनकर वकील वादी

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक:– 27.06.2024**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 11 के आराजी खसरा नं. 82/5 रकबा 3.5912 हैक्टेयर, खतौनी सं. 13 के आराजी खसरा नं. 83 रकबा 6.3731 हैक्टेयर, खसरा 98 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, खसरा नं. 99 रकबा 3.0222 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 10.1161 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम भूअभि.नि. क्षेत्र फागी पश्चिम तहसील फागी. जिला दूदू व आराजी खतौनी सं0 125 के आराजी खसरा नं. 1307 रकबा 1.2645 हैक्टेयर, खसरा नं. 1308 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, खसरा नं. 1309 रकमा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नं. 1310 रकबा 0.6449 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.1486 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र, मैदवास, तहसील फागी, जिला दूदू में स्थित हैं। जिसके वादीगण उक्त आराजी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चले आ रहे है एवं खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। उक्त आराजी वादीगण की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादीगण के ससुर/दादा

उपखण्ड अधि.
फागी, जिला–दूदू

लगातार....................2

भींवा उर्फ भीमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही तथा उनकी मृत्युपरान्त जरिये फौती नामान्तकरण वादीगण के पति/पिता व अन्य वारीसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वरवक्त फौती नामान्तकरण वादी के पति/पिता का बोलता नाम चेनसुख पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम के नाम खुलवाया जबकि वादी के पति/पिता का रिकार्डेड नाम चेनराज पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम है वादीगण के पति/पिता परिवार कि जिम्मेदारियों के कारण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बोलता नाम चेनसुख कि जानकारी नहीं रख सके। वादीगण के पति/पिता के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल, पेशन एवं ग्राम पंचायत फागी के सिजरा खानदान प्रमाणपत्र में वादीगण के पति/पिता का नाम चेनराज पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम दर्ज है। ग्राम फागी व लसाडिया में चेनसुख पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम व चेनराज पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम एक ही व्यक्ति है इनके अलावा अन्य कोई इस नाम का व्यक्ति ग्राम फागी व लसाडिया तहसील फागी में नहीं है। बल्कि वादीगण के पति/पिता का नाम चेनराज पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम के समस्त दस्तावेजों से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादीगण के पति/पिता का रिकार्डेड नाम चेनराज पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम है इसलिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पति/पिता का नाम चेनसुख पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम की जगह चेनराज पुत्र भींवा उर्फ भीमाराम राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादीगण उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पति/पिता ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे जिनकी राजस्व रिकार्ड में राज कर्मचारियो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है, एवं वादीगण के पति/पिता का स्वर्गवास होने के उपरान्त विरारात का के.सी.सी.ऋण बाबत् पटवार हल्का फागी पश्चिम व लसाडिया में गये तो ग्राम पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में आपके पति/पिता का रिकार्डेड नाम चेनसुख दर्ज है नाम दुरूस्त होने पर ही सरकार से मिलने वाली के.सी.सी. ऋण व अन्य सुविधाओं का आश्वासन दिया। वादीगण के पति/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलव दर्ज कर दिया है वादीगण उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी ने दिनांक 29/4/2024 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण के पति/पिता काम करने के लिए बाहर रहने के कारण राजस्व रिकार्ड में राज कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पति/पिता की वल्दियत गलत दर्ज कर दी गयी एवं जिसे दुरूस्त किया जाकर घोषणा किया जाना आवश्यक है एवं

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.................3

दुरुस्ती एवं घोषणा के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण काश्तकार पेशा महिला / व्यक्ति है जिनके आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो वादीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादीगण को नुकसान होगा। उक्त वाद में प्रतिवादी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण को वाद कारण दिनांक 29/04/2024 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पति/पिता की वल्दियत में नाम दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पक्षकारान की विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामील भी उपस्थित नही आये। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस वकील वादीगण एकतरफा सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी पश्चिम के खाता सं0 11 व 13 तथा ग्राम लसाडिया के खाता संख्या 125 मे वादीगण पति/पिता का नाम चेनसुख से दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण उक्त आराजीयात में रिकॉर्डेड खातेदार है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात में नामान्तकरण संख्या 1327 दिनांक 29.06.2018 द्वारा जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त नामान्तरकरण में वादीगण के पति/पिता का नाम चैनराज/चैनसुख पुत्र भीमाराम अंकित किया गया है तथा वाके ग्राम लसाडिया के नामान्तरकरण संख्या 1886 दिनांक 05.09.2018 में वारदीगण पति/पिता का नाम चैनसुख अंकित है। वादीगण के पति/पिता के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, विद्युत बिल, पेंसनर आवेदन पत्र, राशन कार्ड आदि में चैनराज अंकित है। कार्यालय ग्राम पंचायत फागी द्वारा जारी रिपोर्ट क्रमांकः– ग्रा0पं0फागी/2018–19/121 दिनांक 21.05.2018 की छायाप्रति में जारी सिजरा प्रमाण पत्र में वादीगण के पति/पिता का नाम चैनराज अंकित है चूंकि उपरोक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादीगण के पति/पिता का नाम चैनराज है। वादीगण को उक्त विवादित आराजी जरिये विरासत से प्राप्त हुई है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम चैनसुख दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.................4

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 11 के आराजी खसरा नं. 82/5 रकबा 3.5912 हैक्टेयर, खतौनी सं. 13 के आराजी खसरा नं. 83 रकबा 6.3731 हैक्टेयर, खसरा 98 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, खसरा नं. 99 रकबा 3.0222 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 10.1161 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम भू.अभि. नि. क्षेत्र फागी पश्चिम तहसील फागी. जिला दूदू व आराजी खतौनी सं0 125 के आराजी खसरा नं. 1307 रकबा 1.2645 हैक्टेयर, खसरा नं. 1308 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, खसरा नं. 1309 रकमा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नं. 1310 रकबा 0.6449 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.1486 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र, मैदवास, तहसील फागी, जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन वादीगण के पति/पिता का नाम चैनसुख के स्थान पर चैनराज दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादीगण को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला-दूदू

सुशीला देवी बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 20 / 2024
निर्णय दिनांक 27.06.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सुशीला देवी पत्नी स्व. चेनराज
2. महेन्द्र पुत्र स्व. चेनराज
3. राजेन्द्र पुत्र स्व. चेनराज

समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम फागी जिला दूदू हाल निवासी बी–1, चार दरवाजा बाहर, मालासर बाबा के मंदिर के पास, मंडी खटीकान रामगंज जयपुर जिला जयपुर राज.।

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 20 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी कालूराम बुनकर हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 11 के आराजी खसरा नं. 82/5 रकबा 3.5912 तथा खतौनी संख्या 13 के खसरा नं. 83, 98, 99 कुल किता 3 कुल रकबा 10.1161 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू तथा खाता सं0 125 के आराजी खसरा नं. 1307, 1308, 1309, 1310 कुल किता 4 कुल रकबा 3.1486 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन वादीगण के पति/पिता का नाम चैनसुख के स्थान पर चैनराज दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज ..—.. मुबलिग ..—..बाबत ..—..खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ..—.. फीसदी..—.. सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..—.. का अदा करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.06.2024 को जारी की गई।

27/6/24

मुहर (उपखण्ड अधिकारी फागी, सत्यमेव जयते, जिला – दूदू)

दस्तखत..........
उपखण्ड अधिकारी
अहदा... फागी, जिला–दूदू

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			स्टाम्प वजह सबुत		
महन्ताना वकील		NIL	महन्ताना वकील		NIL
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

27/6/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू